

06.08.2025

पत्रावली श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, चित्तौड़गढ़ के आदेश क्रमांक/सरिश्ता/एफ-01(02)2019/491 दिनांक 05.08.2025 की पालना में न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन से अंतरित होकर प्राप्त हुई है। पत्रावली को दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रकरण की न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन में अग्रिम पेशी दिनांक 28/8/2025 नियत रही है। तदनुसार वास्ते अग्रिम कार्यवाही पत्रावली इस न्यायालय में भी उक्त पेशी दिनांक 28/8/2025 को पेश हो।

325  
2025




सहायक कलक्टर  
(फास्ट-ट्रेक) कपासन

28/8/2025

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष हाजिर। श्रीमान् पीओ साहब अवकाश/चुनाव/डीगर/दौर/ अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 16/10/2025 को पेश हो।

10/9/2025

पत्रावली प्रकरण में कार्यवाही बरी-यातने के प्रारम्भ पर तालुत होने से तिगोह में तलब हुई। पारीया व पारीया अधिवक्ता की शर्मा कुपालका एपिए। एपिए होकर

जोहाम देवी  


निवेदन किया कि पञ्जाब के मध्य  
राजधानी को जाने से प्रकटन में काफी  
जमी-पावते हैं। अतः राजधानी के निवेदन  
को निवारण किया पात्र पाठ पत्र में  
वसी स्तर पर काफी जमी-पावती  
है। पञ्जाबी मूल्य स्तर स्तर से  
प्रति है। अतः मध्यम स्तर

वसु

सहायक कलक्टर  
(फास्ट-ट्रेड) रुपासन

58  
505